



**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर के आयुक्त का कार्यालय**  
**OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX**



**एन-5, टाउन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-431003**

**N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD-431003**

**वेबसाइट/WEBSITE : <http://www.centralexciseaurangabad.gov.in>**

**ई-मेल/E-mail : [cexauran@excise.nic.in](mailto:cexauran@excise.nic.in)**

**फोन/Phone : +91-240-2484975 फैक्स/Fax : +91-240-2483303/2476627**

**व्यापार सूचना सं 06/ केन्द्रीय उत्पाद / 2016**

विषय :- बजट 2016 – आभूषण, रेडीमेड वस्त्रों एवं कपडे से बनी हुई वस्तुओं के उत्पादकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में ।

व्यापार तथा उद्यम का ध्यान दि. 01.03.2016 के अधिसूचना सं 6/2016 केंद्रीय उत्पाद (एन-टी) एवं दि. 01.03.2016 के 5/2016 केंद्रीय उत्पाद (एन-टी) एवं संयुक्त सचिव, (टी आर यू) के दि. 29.02.2016 सी ई (एन-टी) पत्र D.O.F 334/8/2016- टी आर यू के पैरा 3.2.5 केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष, का दि.03.03.2016 के अर्ध शासकीय पत्र जो मूल्यवान धातु के आभूषण, रेडीमेड वस्त्रों एवं कपडे से बनी हुई वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में किए गए परिवर्तन एवं इन नए कर के उपायों की सरलीकरण के ओर आर्कषित किया जाता है।

2. फिलहाल एसीईएस में पंजीकरण के लिए प्राप्त हुआ कोई भी नया आवेदन पंजीकरण प्रमाणपत्र बनने (जनरेट) के बाद सहायक/ उप आयुक्त द्वारा स्वचालित रूप से भौतिक सत्यापन के लिए सौपा जाता है और एक स्वचालित मेल निर्धारित को भेजा जाता है। आभूषण, रेडीमेड वस्त्रों एवं कपडे से बनी हुई वस्तुओं के उत्पादकों के लिए भौतिक सत्यापन को निकाल देने के लिए तथा आभूषण, रेडीमेड वस्त्रों एवं कपडे से बनी हुई वस्तुओं के उत्पादकों को केन्द्रीकृत पंजीकरण प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करने के लिए एसीईएस में संशोधन निर्धारित अवधि में पूरे किए जाएंगे। तब तक निर्धारित के साथ ही विभागीय अधिकारियों को सूचित करने के लिए प्रणाली निदेशालय द्वारा ऐसे उत्पादकों के संबंध में एसीईएस में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

- एक टिकर एसीईएस बेबसाइट में पहले से ही रखा गया है, जो निर्धारित को सूचित करता है, कि ऐसे उत्पादकों को भौतिक सत्यापन से संबंधित स्वचालित मेल प्राप्त होता है तो वह उसे अनदेखा करे।

- ◆ पंजीकरण प्रमाणपत्र बनने के बाद निर्धारित को भेजे जा रहे स्वचालित मेल में उपयुक्त संशोधन किए जा रहे हैं, कि ऐसे उत्पादक भौतिक सत्यापन से संबंधित सूचना को अनदेखा करे।
- ◆ एक मेल पहले से ही क्षेत्र अधिकारियों के बीच परिचालित करने के लिए कॉम एड-मिन को भेज दिया गया है, कि एसीईएस कार्यप्रवाह पूरा करने के क्रम में,

★ सहायक आयुक्त, आवेदन को भौतिक सत्यापन के लिए रैंज अधीक्षक को प्रेषित करेगे।

★ रैंज अधीक्षक, भौतिक सत्यापन के लिए समय तथा तिथि निर्धारित करेगे।

★ रैंज अधीक्षक, तत्काल भौतिक सत्यापन रिपोर्ट उल्लेख करते हुए तैयार करेगा कि भौतिक सत्यापन आवश्यक नहीं है रिपोर्ट सिर्फ एसीईएस कार्यप्रवाह पूरा करने के लिए प्रस्तुत की जाती है।

★ सहायक आयुक्त, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को अनुमोदित करेगे।

इसके अलावा आभूषण, उत्पादक अधिसूचना सं 5/2016 के अनुसार केंद्रीकृत पंजीकरण प्राप्त करने के लिए परिसर का ब्यौरा रिकार्ड के लिए ऑफलाइन प्राप्त किया जा सकता है, जब तक कि एसीईएस में यह प्रणाली विकसित नहीं हो जाती।

सभी व्यापार संगठन तथा चेम्बर्स ऑफ कामर्स, क्षेत्रीय सलाहकार समिति/ लोक शिकायत समिति के सदस्यों से अनुरोध है, कि वे इस व्यापार सूचना को प्रचारित करे तथा अपने सदस्यों को व्यापार सूचना की जानकारी दे।

फा.सं वीजीएन(30)24/टी.सी/2010  
औरंगाबाद दि. 20 अप्रैल 2016

हस्ता/-  
सी.एल.महर  
आयुक्त

प्रति प्रस्तुत :-

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, नागपुर प्रक्षेत्र, नागपुर।
2. सभी व्यापार के लिए कार्यालयीन डाक सूची के अनुसार।
3. सहायक आयुक्त, औरंगाबाद I/II/III/IV/नांदेड मंडल।
4. संगणक अनुभाग को कार्यालयीन बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. मुख्यालय का नोटिस बोर्ड।